समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु निविदा

बेगूसराय जिला के सभी सातों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 141–चेरिया बरियारपुर, 142–बछवाड़ा, 143–तेघड़ा, 144–मटिहानी, 145–साहेबपुरकमाल, 146–बेगूसराय, एवं 147–बखरी (अ0जा0) के लिए ERONet के माध्यम से फोटोयुक्त निर्वाचक सूची एवं रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) के निर्माण हेतु अनुभवी एवं योग्य फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय में दिनांक–06.09.2019 को 2:00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक– 06.09.2019 को 3:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिला क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वंय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित शर्त्त एवं कार्य की विवरणी तथा निविदा प्रपत्र दिनांक–06.09.2019 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला निर्वाचन नाजिर के पास ₹1000.00 (एक हजार रूपये) नगद जमा कर नाजीर रसीद लेकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विदित हो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा, अन्य प्रपत्र में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा। विस्तृत जानकारी हेतु बेगूसराय जिला के वेबसाईट **begusarai.nic.in** पर देखा जा सकता है।

13/08/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।

समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र — प्रपत्र मूल्य– ₹1,000.00 (एक हजार रूपये)

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु निविदा

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को लघु उद्योग एवं Bihar Shop & Establishment Act के अन्तर्गत बिहार में कम–से–कम पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (GST Act) के तहत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा अद्यतन रिटर्न के साथ विगत वर्ष (2018–19) में कम से कम ₹25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपये) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में जमा करने का साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN Number) के साथ आयकर रिटर्न एवं पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) का Audit and Balance Sheet के साथ प्रति वर्ष ₹1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) का टर्न ओवर का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना होगा।
4. निविदा के साथ ₹50,000.00 (पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता फर्म को लगातार तीन वित्तीय वर्षो (यथा– वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) में प्रतिवर्ष बिहार राज्य के न्यूनतम 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का फोटो युक्त निर्वाचक सूची (PER) एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्माण कार्य (प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन सहित) का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव हेतु विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित जिला द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सब कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं गिना जायेगा।
6. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
7. निविदादाता फर्म को ISO 9001:2008 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अन्तर्गत कम–से–कम तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना चाहिए।
9. आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो तुरंत कार्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमानत की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस आशय का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना, यथा– कम्प्यूटर/Net Conectivity/QR Code Printer/ Scanner/कम्प्यूटर ऑपरेटर/जेनरेटर/डिजिटल कैमरा/लेमिनेशन मशीन/हाई स्पीड प्रिन्टर/ यू0पी0एस0 आदि का होना आवश्यक है। फर्म को इसकी उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व संबंधी शपथ–पत्र पूर्ण विवरणी (Specifications) के साथ देना होगा।

11. फर्म द्वारा प्रयुक्त होने वाले सभी कम्प्यूटर में Licenced Operating System और Anti Virus Software होना अनिवार्य है। फर्म को सभी कम्प्यूटर में Licensed Operating System एवं Anti Virus Software पर कार्य करने हेतु शपथ–पत्र देना होगा।

12. फोटोयुक्त निर्वाचक सूची निर्माण के क्रम में लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ A-4 साईज के 70GSM पेपर का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

13. फर्म को फोटो निर्वाचक सूची तथा ईपिक निर्माण के लिए लेजर प्रिन्ट आउट निकालने हेतु सिर्फ ओरिजिनल कॉर्टिज का प्रयोग करने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेपर प्रिन्टेड ब्लैक एण्ड वाईट ईपिक के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

a) Paper quality for identity Card shall not be less than 100 GSM milky white paper. The EPIC shall be produced by single side printing on paper and folding. Six Cards will be printed on A4 Size paper.

b) Lamination Pouch for identity Card 125 Micron (75 Microns Polyester & 50 Micron Polymer, Transparent & Colorless)

c) Card Size : 8.4 cm vertical and 5.0 cm horizontal.

15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी.भी.सी. प्रिन्टेड रंगीन ईपिक कार्ड के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियां निम्नवत है :–

d) Card Type : All new cards will be printed on PVC Sheet with colour phogograph.

e) Card Size : 8.6 cm vertical and 5.4 cm horizontal.

f) Thickness : 0.6 mm to 0.8 mm.

g) Lamination : 60 microns overlay.

16. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (JPEG Format) के माध्यम से निर्मित किए जायेंगे। छायाचित्र का आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत होगीं :–

a) Size of Photographs : 3.2 cm vertical and 2.4 cm horizontal

b) Resolution : 320 pixels x 240 pixels

c) High quality photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ERONet से संबंधित सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण करना होगा, किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।

18. निविदादाता फर्म को जिला मुख्यालय में हीं कार्य करना होगा। जिला से बाहर कार्य करने की अनुमति अनुमान्य नहीं होगी। जिला के साथ–साथ सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में भी डाटाइन्ट्री ऑपरेटर एवं आवश्यक सभी उपस्कर की व्यवस्था चयनित फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी एवं इस व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा। कार्य हेतु स्थल आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

19. फर्म द्वारा उन्हें कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सभी आवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों को क्रमवार सुरक्षित रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) को कार्य के पश्चात् वापस किया जायेगा। साथ हीं निर्वाचन से संबंधित सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा। इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।

20. फर्म द्वारा उन्हें सौपें गये सभी कार्यों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखी जायेगी, नियमानुसार सही–सही कार्य किया जायेगा तथा उन्हें उपलब्ध सूचनाओं एवं उस पर आधारित आंकड़ों को

किसी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. निविदादाता फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, के निदेशानुसार कार्य का स्वरूप/प्रकृति एवं प्रक्रिया में समय–समय पर परिवर्तन के आलोक में संबंधित फर्म द्वारा तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के अद्यतन निदेशों के आलोक में कार्य करना होगा। फर्म को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
23. इसके अतिरिक्त फर्म को जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी/ उप निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ई0आर0ओ0)/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें

1. तकनीकी निविदा में दिए गए शर्त्तों का पालन करने वाले सफल फर्मो की हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय निविदा में संबंधित सभी कार्यो का दर रूपये/पैसे को अंक एवं शब्द में स्पष्ट रूप से निर्धारित निविदा प्रपत्र में लिखना आवश्यक है एवं नीचे हस्ताक्षर करेंगे।
2. वित्तीय निविदा में फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण से संबंधित दर GST एवं अन्य सभी कर सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किए जाने वाले विपत्र पर नियमानुसार आवश्यक करों (Taxes) की कटौतियाँ कर ली जायेंगी।

(ग) सामान्य शर्तें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना अनिवार्य है।
2. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत यदि अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर/बगैर मोहर के पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए ₹1000.00(एक हजार रूपये) की कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।
5. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक फर्मो में कार्य को आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।
6. फर्म द्वारा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं ससमय निष्पादन की जाँच जिला स्तर से नियमित रूप से की जायेगी।
7. एकरारनामा के समय बैंक गारण्टी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अग्रिम राशि (अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत) लिया जायेगा।

13/08/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।